यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर, (ऊधमसिंह नगर) द्वारा उपलब्ध करायी गयी सूचना के आधार पर तैयार किया है। कार्यालयाध्यक्ष द्वारा उपलब्ध करायी गयी किसी त्रुटिपूर्ण अथवा अधूरी सूचना के लिए कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून की कोई जिम्मेदारी नहीं होगी।

क्षेत्रीय कार्यालय, उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर के माह 04/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों पर निरीक्षण प्रतिवेदन जो श्री गौरव पंत, वरिष्ठ लेखापरीक्षक, श्री अनूप सिंह चौहान, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी तथा श्री राजा रंजन राव, सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा श्री शशि कान्त पाण्डेय लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में दिनांक 09.10.2018 से 12.10.2018 तक सम्पादित किया गया।

भाग-I

1. **परिचयात्मकः** इस इकाई की विगत लेखापरीक्षा श्री रवि शंकर सहायक लेखापरीक्षा अधिकारी द्वारा दिनांक 18.04.2016 से 23.04.2016 तक श्री बी.डी.सिंह वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी के पर्यवेक्षण में सम्पादित की गयी थी। जिसमें माह 11/2011 से 03/2016 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी थी। वर्तमान लेखापरीक्षा में माह 04/2016 से 09/2018 तक के लेखा अभिलेखों की जांच की गयी है।

2. **(i)** इकाई के क्रियाकलाप एवं भौगोलिक अधिकार क्षेत्रः- कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का क्षेत्रीय कार्यालय है जिसमे जनपद उधम सिंह नगर मे स्थापित उद्योगों मे प्रदूषण नियंत्रण से संबन्धित स्थापना एवं संचालन हेतु अनापत्ति प्रमाण पत्र (CTE/CTO) प्रदान किया जाता है तथा प्रदूषण नियंत्रण संबंधी अन्य कार्य किए जाते हैं।

कार्यालय का भौगोलिक अधिकार क्षेत्र उत्तराखण्ड राज्य का जनपद उधम सिंह नगर का समस्त क्षेत्र है।

(ii) (अ) विगत वर्षों में बजट आबंटन एवं व्यय की स्थिति निम्नवत हैः

(` लाख में)

वर्ष	प्रारम्भिक अवशेष		स्थापना		गैर स्थापना		आधिक्य (+)	बचत (-)
	स्थापना	गैर	आवंटन	व्यय	आवंटन	व्यय		
2015-16	-	-	74.90	54.65	-	-	*	
2016-17	-	-	91.00	66.25	-	-	*	
2017-18	-	-	119.25	68.42	-	-	*	
2018-19 upto Sept. 2018	-	-	0.00	38.10	-	-	*	

*मुखयालय द्वारा क्षेत्रीय कार्यालय को धनराशि का आवंटन प्रोविशनल आधार पर किया जाता है जिसके कारण क्षेत्रीय कार्यालय मे बचत/ आधिक्य शेष नहीं रहता।

(ब) केन्द्र पुरोनिधानित योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त निधि एवं व्यय विवरण निम्नवत हैः

(₹ लाख में)

वर्ष	योजना का नाम	प्रारम्भिक अवशेष	प्राप्त	व्यय	आधिक्य (+)	बचत(-)
2015-16	NAMP	-	-	10.21	-	-10.21
2016-17		-	-	11.91	-	-11.91
2017-18		-	-	6.69	-	-6.69
2018-19 upto Sept 2018		-	-	3.85	-	-3.85

उपरोक्त योजना मे मुख्यालय स्तर पर धनराशि प्राप्त होती है जिसके कारण प्राप्त धनराशि का विवरण कार्यालय द्वारा नहीं दिया गया है एवं व्यय धनराशि को बचत मे दिखाया गया है।

(iii) इकाई को बजट आवंटन मुख्यालय,उत्तराखण्ड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, देहारादून द्वारा दिया जाता है।विभाग का संगठनात्मक ढांचा निम्नवत हैः

1. चेयरमेन
2. सदस्य सचिव
3. मुख्य पर्यावरण अभियन्ता एवं मुख्य वैज्ञानिक अधिकारी
4. क्षेत्रीय अधिकारी- पर्यावरण अभियन्ता/ वैज्ञानिक अधिकारी

(iv) **लेखापरीक्षा का कार्यक्षेत्र एवं लेखापरीक्षा विधिः** क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर। यह निरीक्षण प्रतिवेदन क्षेत्रीय अधिकारी, काशीपुर की लेखापरीक्षा में पाये गये निष्कर्षों पर आधारित है। माह 03/2017 एवं 03/2018 को विस्तृत जांच हेतु चयनित किया गया|

(v) लेखापरीक्षा भारत के संविधान के अनुच्छेद 149 के अधीन बनाये गये नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के (कर्तव्य, शक्तियां तथा सेवा की शर्ते) अधिनियम, 1971 (डी पी सी एक्ट, 1971) की धारा 13 लेखा तथा लेखापरीक्षा विनियम, 2007 तथा लेखापरीक्षण मानकों के अनुसार सम्पादित की गयी।

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर-1- The Air (prevention and control of air pollution) Act 1981 द्वारा अधिनियमित उद्देश्यो की अप्राप्ति।

The Uttarakhand Enviroment Protection and Pollution Control Board (UEPPCB) has the mandate under the Air (prevention and control of air pollution) Act 1981 for prevention and control of air pollution in state of Uttarakhand. Further, as per NAMP Guidelines, the monitoring of pollutants is carried out for 24 hours (04 hourly sampling for gaseous pollutants and 08 hourly sampling for particulate matter) with a frequency of twice a week, to have 104 observations in a year.

क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा Air Quality Monitoring Data से संबन्धित उपलब्ध कराई गयी रिपोर्ट Rudrapur के जांच मे पाया गया की माह अप्रैल 2016 से फरवरी 2017 तक gaseous pollutant (SO_2, NO_2)मोनिट्रिंग नहीं की गयी और RSPM और SPM की दिशा निर्देशों के विरूद्ध केवल दो बार (8 hourly for 24 hours) की गयी । पुनः अगस्त 2017 एवं सितंबर 2017 मे भी gaseous pollutantकी मोनिट्रिंग नहीं की गयी।माह अक्टोबर 2017 से जुलाई 2018 के दौरान SO_2और NO_2 की मोनिट्रिंग नहीं की गयी और RSPM और SPMकी 8 hourly 03 times in 24 hours के स्थान पर केवल 2 times ही की गयी। पुनः माह अगस्त 2018 एवं सितंबर 2018 मे SO_2और NO_2 की मोनिट्रिंग 4 hourly 6 times फॉर 24 hours के स्थान पर केवल 4 टाइम्स ही की गयी। अन्य प्रदूषकों की मोनिट्रिंग भी नहीं की जा रही थी। निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार मोनिट्रिंग नहीं किए जाने के कारण प्राप्त आंकड़े representative नहीं थे और निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण और अर्थहीन थे। फलस्वरूप बोर्ड द्वारा अधिनियमित उद्देश्यों की पूर्ति नहीं हो सकी।

लेखा परीक्षा मे इंगित किए जाने पर क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर द्वारा उत्तर दिया गया की उक्त उद्देश्यों के पूर्ति हेतु प्रत्येक स्टेशन के लिए निर्धारित मानवशक्ति नहीं थी।

उत्तर अस्वीकार्य है क्यों की उचित मानव शक्ति का निर्धारण नहीं हुआ था एवं वांछित मानव शक्ति की प्राप्ति हेतु कोई प्रयास भी नहीं किए गए थे।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-2- The Water (prevention and control of pollution) Act 1974द्वारा अधिनियमित उद्देश्यो की अप्राप्ति।

The UttarakhandEnviroment Protection and Pollution Control Board (UEPPCB) has the mandate under The Water (prevention and control of pollution) Act 1974 for prevention and control of water pollution in state of Uttarakhand.

Further, as per mandate for water quality monitoring, the objectives of water quality monitoring are as under-

(i) Rational planning of pollution control strategies and their prioritisation
(ii) To assess nature and extent of pollution control needed in different water bodies or their part
(iii) To evaluate effectiveness of pollution control measures already in existence
(iv) To evaluate water quality trend over a period of time
(v) To assess assimilative capacity of a water body thereby reducing cost on pollution control
(vi) To understand the environmental fate of different pollutants
(vii) To assess the fitness of water for different uses.

Besides the abovesaid, the “Protocol for Water Quality Monitoring” was notified under the Environment (Protection) Act, 1986 which prescribes for a list of parameters to be considered for analysis and frequency of sampling provided in Table 1 (parameters and frequency of monitoring in surface waters) and Table 2 (parameters and frequency of monitoring in ground waters).

लेखा परीक्षित इकाई द्वारा उपलब्ध कराई गयी सूचना/दस्तावेजों की जांच मे पाया गया की सभी पैरामेटर की नहीं की जा रही थी । जिसके कारण उपरिलिखित उद्देश्य अप्राप्त रहे।

इकाई ने अपने उत्तर मे उल्लेख किया की क्षेत्रीय कार्यालय के जल नमूने हल्द्वानी कार्यालय की प्रयोगशाला मे भेजे जाते है । instrumentationके आभाव के कारण संभवतया यह कार्य नहीं हो पा रहा है ।

इकाई का उत्तर अस्वीकार्य है क्योकि प्रथमतः उपरिलिखित उद्देश्यों का प्राप्त किया जाना प्रदूषण नियंत्रण हेतु अनिवार्य है और इकाई द्वारा वांछित उपकरणो की कमी को दूर करने हेतु कोई उपाय नहीं किए गए ।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु शासन के संज्ञान मे लाया जाता है ।

भाग-दो(ब)

प्रस्तर-3: 338 उधोगों को संचालन अनुमति प्रदान करने एवं 84 उधोगों से संचालन अनुमति प्रदान करने के लिए ली जाने वाली रुपेय 8.20 लाख की धनराशि प्राप्त किया जाना लंबित रहना।

भारत सरकार द्वारा अधिनियमित जल (प्रदूषण निवारण वं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 द्वारा निर्देशित किया जाता है कि सभी उद्योग/होटल/रेस्टोरेन्ट/शहरी स्थानीय निकाय एवं अन्य सम्बन्धित उद्योग संचालन से पूर्व या संचालन के दौरान उद्योग में परिवर्तन या विस्तार होने पर राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से संचालन अनुमति (CTO- Consent to Operate) प्राप्त किया जाना आवश्यक है।

कार्यालय द्वारा उद्योगों को Water Act, Air Act and HW Rules-2016 के अन्तर्गत संचालन अनुमति (CTO- Consent to Operate)प्रदान करने सम्बन्धी अवधि माह 04/2016 से 09/2018 तक के उपलब्ध कराये गये अभिलेखों की जांच में पाया गया कि क्षेत्रीय कार्यालय काशीपुर में कुल 338 उद्योगों द्वारा राज्य प्रदूषण नियंत्रण कार्यालय से संचालन अनुमति(CTO-Consent to Operate) का नवीनीकरण (renewal) नहीं किया गया है जिसका विवरण निम्न तालिका से स्पष्ट है:

Category	**CTO renewal Status**				**Total Due for CTO Renewal**
	Not apply	**Show Cause Notice**	**Under Process**	**Rejected**	
Red	1	0	42	2	45
Orange	23	28	125	9	185
Green	8	22	75	1	106
White	0	2	0	0	2
	32	**52**	**242**	**12**	**338**

कुल 338 उद्योगों का संचालन बिना CTO Renewal प्राप्त किए चल रहा है इन 338 उद्योगों में से 254 उद्योगों द्वारा CTO हेतु कार्यालय में आवेदन किया जा चुका है लकिन शेष 84 उद्योगों(Annexure-A) द्वारा CTO Renewal नही किया गया जिसके कारण कार्यालय को उद्योगों के संचालनार्थ ली जाने वाली Consent to Operate की नवीनीकरण(renewal) फीस कुल धनराशि रुपया 8,20,920/- (Red Cat. से 5000/-, Orange Cat. से 8,15,000/- एवं Green Cat. से 920/-) की आय की प्राप्ति नही हुई थी. इन उद्योगों के Consent to Operate Renewal के लिये निर्धारित शुल्क यथा Red/orange cat हेतु न्यूनतम Renewal फीस 5000/- प्रति उद्योग एवं Green Cat हेतु न्यूनतम रू0-20 प्रति उद्योग के आधार पर गणना की गयी है।

लेखा परीक्षा द्वारा उद्योगों के संचालनार्थ ली जाने वाली Consent to Operate की नवीनीकरण(renewal) फीस कुल धनराशि रुपया 8,20,920/- (Red Cat. से 5000/-, Orange Cat. से 8,15,000/- एवं Green Cat. से 920/-) की आय की प्राप्ति किया जाने के संबंध में पूंछे जाने पर इकाई द्वारा

तथ्यो एवं आंकड़ो की पुष्टि करते हुए अवगत कराया गया कि उधोगों के सहमति एवं कार्यवाही संबंध में कारण बताओ नोटिस जारी करे। इकाई का उत्तर मान्य नहीं है क्योंकि इकाई द्वारा इंगित किये गये जिन 84 उद्योगों से CTO Renewal फीस संबंधी कार्यवाही दिनांक 31-03-2018 तक की जानी चाहिए थी।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

RO Kashipur-Green Category Industry							
SL No	PCB ID	Name of Industry	Cat	CCA Val	Year from last CCA validity	Total Fee due (YearX20) (in Rs)	Status
1	15808	Shri Khatu Naresh Flour Mill	G-S	31/03/2013	6	120	
2	12839	nuziveedu Seeds Private Limited	G-M	31/03/2016	3	60	
3	12579	Maakriti Industry	G-S	31/03/2016	3	60	
4	10733	Metal Art Auto Pvt Ltd	G-S	31/03/2016	3	60	
5	17064	Adinath Forging Pvt Ltd	G-S	31/03/2017	2	40	
6	18273	Agarwal Aqua Pvt Ltd	G-S	31/03/2017	2	40	
7	10128	D.D Food And Bakers	G-S	31/03/2017	2	40	
8	18053	J.K Polycoat	G-S	31/03/2017	2	40	
9	12681	Shubham Engineering Works	G-S	31/03/2017	2	40	
10	12669	Lotte Electronics Ltd	G-L	31/03/2018	1	20	
11	11565	Anand Precision Works	G-M	31/03/2018	1	20	
12	12059	Tata Toyo Radiator Ltd	G-M	31/03/2018	1	20	
13	21091	Alp Plastics Pvt. Ltd	G-S	31/03/2018	1	20	
14	21582	Arora Industriesk	G-S	31/03/2018	1	20	
15	21177	Chauhan Polymers	G-S	31/03/2018	1	20	
16	17985	Dev Bhumi Polymers	G-S	31/03/2018	1	20	
17	21338	Goel Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
18	21631	Jai Shri Ram Agro Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
19	21588	Janta Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
20	21794	Jmi Plast Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
21	18376	Jyoti Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
22	20702	Kool Sipp Beverages Pvt. Ltd	G-S	31/03/2018	1	20	
23	11817	Midwest Bio Fuel India Pvt. Ltd.	G-S	31/03/2018	1	20	
24	21363	Sadhana Hotel	G-S	31/03/2018	1	20	
25	10714	Sankriti Greens(Rajaram Sons)	G-S	31/03/2018	1	20	
26	21587	Shiv Shakti Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
27	21637	Shri Shyam Ji Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
28	14308	Sing + Printing & Packaging	G-S	31/03/2018	1	20	
29	13984	Well Pack	G-S	31/03/2018	1	20	
30	15052	Well Pack Industries	G-S	31/03/2018	1	20	
					Total Amt=	**920**	

RO Kashipur-Orange Category Industry							
SL No	PCB ID	Name of Industry	Cat	CCA Val	Year from last CCA validity	Total Fee due (YearX5000) (in Rs)	Status
1	13324	Schemati Fabrique	O-S	25/03/2010	9	45000	
2	11398	Bharat Brick Field	O-S	31/03/2010	9	45000	
3	11899	Kishan Brick Udhyog	O-S	31/03/2010	9	45000	
4	11397	Kissan Brick Field	O-S	31/03/2010	9	45000	

5	11702	New Bharat Brick Industries	O-S	**31/03/2010**	9	45000	
6	11840	Prince Brick Field	O-S	**31/03/2010**	9	45000	
7	16005	Rama Brick Industry	O-S	**31/03/2010**	9	45000	
8	12076	s.B. Brick Works	O-S	**31/03/2010**	9	45000	
9	11896	Tarai Bricks Field	O-S	**31/03/2010**	9	45000	
10	16003	Nav Durga Brick Field	O-S	**31/03/2011**	8	40000	
11	17234	Mehrotra & Sons(Gautami Hights)	O-M	**31/03/2012**	7	35000	
12	12798	Gurunanakdev Industries	O-S	**31/03/2012**	7	35000	
13	18386	Srishti Steel Industries P Ltd	O-M	**31/03/2014**	5	25000	
14	16514	SITARGANJ FIBER LTD	O-L	**31/03/2016**	3	15000	
15	10741	Shubh Labh Minerals & Chemicals	O-S	**31/03/2016**	3	15000	
16	18715	Asha Stone Crusher	O-M	**31/03/2017**	2	10000	
17	13627	Galfar Engineering & Contracting (I) Pvt Ltd	O-M	**31/03/2017**	2	10000	
18	12124	Aashirwad Brick Field	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
19	11028	Baba Bhuman Shah	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
20	12086	Bhagwati Brick Field	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
21	10397	Chand Brick Field	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
22	11104	Fiberfill Engineers	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
23	17683	Gafur Brick works	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
24	10517	Hotel Sv	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
25	16254	Khawaza Brick Field	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
26	10340	New Kishan Brick Field	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
27	14041	Prince Metal Casting	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
28	20922	Shiv Shakti Boards	O-S	**31/03/2017**	2	10000	
29	13538	Aam India Mfg Corpo Pvt Ltd(formerly Aam Pantnagar Axle Pvt. Ltd.)	O-L	**31/03/2018**	1	5000	
30	10532	Moraceae Pharma Ceuticals Ltd	O-L	**31/03/2018**	1	5000	
31	14816	Polygel Technologies Pvt Ltd.	O-L	**31/03/2018**	1	5000	
32	16462	S.P.P.Food Products Pvt Ltd	O-L	**31/03/2018**	1	5000	
33	12865	Sujatha Bio Tech	O-L	**31/03/2018**	1	5000	
34	13653	Somic ZF Components Ltd	O-M	**31/03/2018**	1	5000	
35	14814	Finecure Pharmaceuticals Ltd	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
36	19031	Galfar Engineering &Contracting India Pvt Ltd,Khasra No 181 , Vill - Malpuri	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
37	12475	Grandeur Agroech (P) Ltd	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
38	21445	Haldua Rice Mills	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
39	15995	k. L. Packagings	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
40	17560	Kashipur Bevrages Pvt. Ltd.	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
41	18661	Kumaon Brick Field	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
42	16993	M.R. Brick Store	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
43	11110	Makmaul Laboratories Pvt Ltd.,	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
44	21746	New Star Brick Works	O-S	**31/03/2018**	1	5000	

45	21035	Onkar Foods	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
46	18742	R .C Repro Trade	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
47	11700	Raza Brick Industries	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
48	20855	Sam Cables And Conductors Pvt. Ltd	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
49	17077	Savvak Engineering Innovations Pvt. Ltd.	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
50	14598	Sundar Pharmaceuticals Pvt Ltd.	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
51	10557	Windal Auto Pvt.Ltd	O-S	**31/03/2018**	1	5000	
					Total Amt=	815000	

RO Kashipur-Red Category Industry

SL No	PCB ID	Name of Industry	Cat	CCA Val	Year from last CCA validity	Total Fee due (YearX5000) (in Rs)	Status
1	14279	Kores Printer Technology Pvt Ltd.	R-M	**31/03/2018**	1	5000	Not Apply
					Total Amt=	5000	

<u>भाग-दो(ब)</u>

प्रस्तर:4- विभागीय उदासीनता के कारण रुपए 165480.00 का अतिरिक्त भुगतान।

इकाई की सुंप्रेक्षा जांच मे कार्यालय की Account Gen 2018-19 पत्रावली मे पाया गया कि आयकर विभाग द्वारा TDS की बकाया माग जमा न करने के संदर्भ मे आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 221(1) के अंतर्गत कारण बताओ नोटिस प्रेषित हुआ है, जिसके अनुसार TDS की बकाया मांग Rs 155860 जो कि interest on late payment, short payment, interest on short payment तथा late filling levy से संबन्धित है,जो वर्तमान तक लंबित है, इस्स संबंध मे पूर्व मे भी आयकर विभाग द्वारा नोटिस जारी किए गए हैं, पंजिका की जांच मे यह भी पाया गया की वर्ष 2011-12 से 2017-18(Q-1) तक TDS बकाया राशि बढ़कर Rs 165480 हो गयी है , वर्तमान तक TDS देयक का भुगतान नहीं किया गया है जिससे TDS बकाया राशि निरंतर बढ़ती जा रही है।

लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया की उक्त संबन्धित प्रकरण बोर्ड मुख्यालय स्तर पर वांछित बजट धनराशि व उक्त पर अग्रेतर करवाही के अनुमोदन के लिए मुखालय प्रस्ताव भेजा गया है।उल्लेखनीय है कि विभागीय उदासीनता के कारण पहले ही अनावश्यक रूप से रुपए 165480.00 कि हानि संभावित है ।

उपरोक्त प्रकरण उच्चधिकारी के सज्ञान मे लाया जाता है।

STAN

प्रस्तर-1- प्राप्ति हेतु निर्धारित लक्ष्यों की अप्राप्ति- रुपए 1404.79 लाख।

उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा क्षेत्रीय अधिकारी काशीपुर हेतु प्राप्ति के संबंद मे निर्धारित लक्ष्यों के विरुद्ध हुई प्राप्ति संबंधी आंकड़ो के विश्लेषण से ज्ञात हुआ की वर्ष 2016-17 से वर्ष 2017-18 के दौरान कुल रुपए 1404.79 की कम प्राप्ति हुई जो निमन्वत प्रदर्शित है -

वर्ष	वास्तविक लक्ष्य (लाख में)	वास्तविक प्राप्ति (लाख में)	कम वसूली	
			धनराशि (लाख में)	धनराशि (प्रतिशत में)
2016-17	720.00	58.05	662.45	91.94
2017-18	781.00	38.66	742.34	95.04
		कुल	1404.79	

विभाग ने उत्तर दिया की संबन्धित मदों मे अधिकांश धनराशि (e-payment की है) बोर्ड मुख्यालय सीधे ही जमा होती है। उक्त धन राशि (मदवार) का विवरण बोर्ड मुख्यालय से collect कर लेखा परीक्षा को अवगत करा दिया जाएगा।

विभागीय उत्तर स्वस्पष्ट है।

प्रकरण उचित कार्यवाही हेतु विभागीय उच्चाधिकारियों के नोटिस मे लाया जाता है ।

STAN

प्रस्तर-2: उद्योगों से संचालन अनुमति की शर्तो के अनुसार पर्यावरण व्यक्त (Environment Statement) प्राप्त नहीं किया जाना ।

कार्यालय क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, काशीपुर द्वारा ऊधमसिंह नगर जनपद में स्थापित एवं संचालित होने वाले उद्योगों को जल (प्रदूषण निवारण वं नियंत्रण) अधिनियम 1974 की धारा 25 एवं वायु (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनियम 1981 की धारा 21 और Rule-5 of Hazardous Waste(Management, Handling and Tran boundary Movement) Rule, 2008 के प्रावधानों के अनुपालन की शर्तो के आधार पर संचलनार्थ सहमति CCA (Consolidated Consent & Authorization) प्रदान की जाती है।

कार्यालय के संचालन अनुमति (**CTO- Consent to Operate**) संबंधी नारंगी श्रेणी के उद्योगों की पत्रावली की नमूना जांच में निम्न उद्योगों **(संलग्नक-A)** के वर्ष 2016-17 और 2017-18 के पर्यावरण व्यक्त (Environment Statement) उपलब्ध नही थे जबकि उक्त पर्यावरण व्यक्त (Environment Statement) उद्योग द्वारा कार्यालय को उपलब्ध कराया जाना चाहिए था लेखा परीक्षा द्वारा पूछे जाने पर इकाई द्वारा उत्तर मे कहा गया कि पर्यावरण व्यक्त (Environment Statement) तत्काल उपलब्ध नही है उद्योग से प्राप्त कर प्रस्तुत कर दिये जाएंगे।

प्रकरण उच्चाधिकारियों के संज्ञान में लाया जाता है।

<u>संलग्नक-A</u>

क्रम. सां.	**उधोग का नाम एवं पता**	**Document Required**
1	M/s Rajlakshmi Buildcon Ltd. U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18
2	M/s Nav Durga Brick Field, U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18
3	M/s Abans Jewels Pvt. Ltd. U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18 और केन्द्रीय भू-जल बोर्ड(CGWB) से अनापत्ति प्रमाण पत्र
4	SFC Foods Pvt. Ltd. U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18
5	M/s Ashish Agri Foods Pvt. Ltd. U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18
6	M/s Uttranchal Brick Field U S Nagar	Environment Statement for year 2016-17 and 2017-18

STAN

प्रस्तर -3- Rs 34551 का अनियमित भुगतान

कार्यालय के यात्रा व्यय के नमूना जांच मे NAMP परियोजना के अंतर्गत संविदा मे वैज्ञानिक सहायक के पद पर कार्यरत कर्मचारी श्री अमित भारद्वाज से संबन्धित चेक नंबर 115118 दिनांक 15/06/16 Rs 6512, चेक नंबर 115129 दिनांक 19/07/16 Rs 2506, चेक नंबर 120341 दिनांक 27/10/16 Rs 3363, चेक नंबर 834230 दिनांक 07/02/17 Rs 3606 तथा सुश्री सृष्टी से संबन्धित चेक नंबर 120340 दिनांक 27/10/16 Rs 1137, चेक नंबर 834231 दिनांक 07/02/17 Rs 988, चेक नंबर 498490 दिनांक 05/12/17 Rs 4943, चेक नंबर 721040 दिनांक 14/02/18 Rs 6146, चेक नंबर 834291,वाउचर नंबर पीवी56 दिनांक 12/06/18 Rs 5350 की जांच मे यह पाया गया उक्त कर्मचारियों को दैनिक भत्ता, यात्रा भत्ता एवं अन्य भत्तो का भुगतान 4200 ग्रेड पे के आधार पर कार्यालय मे कार्यरत नियमित कर्मचारी के आधार पर किया गया था। सभी लेखो की जांच मे कांट्रैक्ट मे कार्यरत किसी कर्मचारी को नियमित कर्मचारी के आधार पर भत्तो के भुगतान हेतु कोई अभिलेख या पारित प्रस्ताव उपलब्ध नहीं कराया गया। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित करने पर इकाई द्वारा उत्तर मे बताया गया है की वैज्ञानिक सहायक का पद 4200 Grade Pay मे है, उसी आधार पर भुगतान किया गया है।

उपरोक्त प्रकरण उच्चधिकारी के सज्ञान मे लाया जाता है।

भाग-III

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों का विवरण

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	भाग-II 'अ' प्रस्तर संख्या	भाग-II 'ब' प्रस्तर संख्या
13/2016-17	-	1,2 & 3

विगत निरीक्षण प्रतिवेदनों के अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्याः

निरीक्षण प्रतिवेदन संख्या	प्रस्तर संख्या लेखापरीक्षा प्रेक्षण	अनुपालन आख्या	लेखापरीक्षा दल की टिप्पणी	अभ्युक्ति
इकाई द्वारा लेखापरीक्षा को सूचित किया गया कि अनिस्तारित प्रस्तरों की अनुपालन आख्या सीधे लेखापरीक्षा कार्यालय को प्रेषित की जाएगी।				

भाग-IV

इकाई के सर्वोत्तम कार्य

.... शून्य ....

भाग-V

आभार

1. कार्यालय प्रधान महालेखाकार (लेखापरीक्षा) उत्तराखण्ड, देहरादून लेखापरीक्षा अवधि में अवस्थापना संबंधी सहयोग सहित मांगे गये अभिलेख एवं सूचनांए उपलब्ध कराने हेतु क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर, ऊधमसिंह नगर तथा उनके अधिकारियों एवं कर्मचारियों का आभार व्यक्त करता है। तथापि **लेखापरीक्षा में निम्नलिखित अभिलेख प्रस्तुत नहीं किये गयेः**

   शून्य

2. **सतत् अनियमितताएः**

(i) शून्य।

3. **लेखापरीक्षा अवधि में निम्नलिखित अधिकारियों द्वारा कार्यालयध्यक्ष का कार्यभार वहन किया गया**

क्रम. स.	**नाम**	**पदनाम**	**अवधि**
1.	एस.पी.सिंह	क्षेत्रीय अधिकारी	04/01/17 से 22/02/18 तक
2.	डा. अंकुर कंसल	क्षेत्रीय अधिकारी	22/02/18 से वर्तमान तक

लघु एवं प्रक्रियात्मक अनियमितताएं जिनका समाधान लेखापरीक्षा स्थल पर नहीं हो सका उन्हें नमूना लेखापरीक्षा टिप्पणी में सम्मिलित कर एक प्रति क्षेत्रीय कार्यालय उत्तराखंड पर्यावरण संरक्षण एवं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड काशीपुर, ऊधमसिंह नगर को इस आशय से प्रेषित कर दी जायेगी कि अनुपालन आख्या पत्र प्राप्ति के एक माह के अन्दर सीधे उप महालेखाकार (सामाजिक क्षेत्र) को प्रेषित कर दी जाये।

वरिष्ठ लेखापरीक्षा अधिकारी/सा.क्षे.